

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक :- 11.7.2016

अभियोजन विभाग के लिए राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी (टीएसपी) प्रतियोगी परीक्षा, 2015 के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक 22.12.2015 के अतिक्रमण में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर नवीनतम परिणाम के अन्तर्गत निम्नलिखित रोल नम्बर्स वाले अभ्यर्थियों को पूर्णतः अस्थायी (Purely Provisional) रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया जाता है।

साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट [www.rpsc.rajasthan.gov.in](http://www.rpsc.rajasthan.gov.in) से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में भरकर मय समस्त आवश्यक शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के इस कार्यालय को दिनांक 25.07.2016 तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा भेजने होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में जमा करवा दिए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। जिसकी सूचना यथा समय भेज दी जायेगी।

## रोल नम्बर

130086	130195	130202	130234	130267	130371	130404	130406
130407	130429	130468	130518	130656	130673	130715	130764
130772	130804	130823	130831	130834	130839	130936	130950
130957	130976	130977	131121	131124	131127		

Total Candidates : - 30

## CUT OFF MARKS

Category		Cut Off Marks
GEN	GEN	115.57
	FEM	111.87

## Horizontal Reservation

Category		Cut Off Marks
PH	LD/CP	72.39

- (1) आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/भर्ती/2015-16 दिनांक 15.05.2015 के तहत जारी शुद्धि पत्र संख्या-13/2015-16 दिनांक:- 18.12.2015 बिन्दु संख्या 1 में अंकित अभिव्यक्ति "(रिक्त पदों में 159 पद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एसएलपी संख्या 36131-36132/2013 के निर्णय के अधधीन रहेंगे)" को अभिव्यक्ति "(रिक्त पदों में 45 पद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी संख्या 36131-36132/2013 के निर्णय के अधधीन रहेंगे। उक्त याचिका के अग्रिम निर्णय के आधार पर कुल रिक्तियों में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।)" पढ़ा जावे।

उप सचिव